points in all Central and State Government enforcement agencies have been established to promote inter-agency cooperation in enforcement work. BSF and Coast Guard, who are deployed on the land and Coastal border have been vested with the powers under the Customs Act to interdict narcotic drugs in addition to the Central and State Government enforcement agencies empowered under NDPS Act.

बिहार सरकार द्वारा केन्द्रीय निधियों को अन्य मदों पर खर्च किया जाना

5445. श्री जगन्नाईन आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों को उपयोग में लाने में विफल रही है और इन निधियों का उपयोग उन प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों हेतु किया गया है, जिनके लिए उन्हें उपलब्ध कराया गया था, यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन मदों हेतु धन उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक मद पर कितना धन खर्च किया गया तथा कितना धन अन्य मदों पर खर्च किया गया और क्या इस धन का अन्य मदों में स्थानांतरित किया जाना उचित था; और

(ख) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने वित्तीय नियमों का पालन नहीं किया है और लेखाओं को ठीक प्रकार से नहीं रखा गया है; यदि हाँ तो क्या केन्द्रीय सरकार वित्तीय अनियमितताओं और किये गये गोलमाल हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में समग्र योजना के लिए जारी की जाती है जिसका तात्पुक्त राज्य वार्षिक योजना के तहत किसी विशेष विकास मद तथा स्कीम से नहीं है। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत परिव्ययों तथा राज्य वार्षिक योजना 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के लिए स्वीकृत परिव्ययों के प्रति राज्य सरकार द्वारा बताए गए व्यय को दर्शाने वाले ब्यौरे अनुपत्र में दिए गये हैं। [देखिये परिशिष्ट------अनुपत्र सं० 112]

(ख) जहाँ तक बिहार सरकार द्वारा रखे जा रहे लेखों का सम्बन्ध है, यह उल्लेख किया जाता है कि यदि राज्य सरकार द्वारा राज्य वार्षिक योजना के सम्बन्ध में व्यय में कमी होने की जानकारी दी जाती है तो उस मामले में राज्य सरकार को देय सामान्य केन्द्रीय सहायता में से आनुपातिक कटौती कर दी जाती है। संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार किसी राज्य के लेखों के सम्बन्ध में भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखे जाने की व्यवस्था करता है। अतः यह राज्य विधान मंडल का कर्तव्य है कि यदि किसी राज्य में निधियों का सही उपयोग नहीं हो रहा है तो वह इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करें।

मध्य प्रदेश में आबकार विभाग द्वारा मारे गये छापे

5446. श्री राघवजी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें आबकार विभाग द्वारा मारे गये छापों के दौरान लेखा पुस्तकों को जब्त किया गया था परन्तु उन्हें दस वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक लौटाया नहीं गया है; और

(ख) आबकार अधिनियम में लेखा पुस्तकों को रोके रखने की अवधि के संबंध में क्या प्रावधान है और उपर्युक्त मामलों में लेखा पुस्तकों को लौटाने में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वीरप्पा मोइली) : (क) 88।

(ख) आबकार अधिनियम की धारा 132(8) के अंतर्गत, अधिकृत अधिकारी जब्त की गई लेखा पुस्तिकाओं को, जब्ती की तारीख से 180 दिन की अवधि तक अपने पास रख सकता है। इस अवधि के बाद आबकार अधिनियम के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों के पूरा होने की तारीख से अधिकतम 30 दिन की अवधि तक पुस्तिकाओं को आयुक्त अथवा मुख्य आबकार आयुक्त के अनुमोदन से रखा जा सकता है।

उपर्युक्त मामलों में पुस्तिकाएं रिलीज नहीं की गई हैं क्योंकि इन मामलों के संबंध में आबकार संबंधी कार्यवाहियां दण्ड, अपीलों तथा अभियोजनों सहित निर्णय की विभिन्न अवस्थाओं में पड़ी हैं।

Import duty on brass scrap

5447. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the import of scrap used by brass foundaries is duty free; if so, whether this scrap when used in casting and in moulding and the process generating scrap, is excisable;

(b) whether brass foundaries use recycled